रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 11, 2017/चैत्र 21, 1939
No. 277] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 11, 2017/CHAITRA 21, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2017

सं. 13/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 344(अ).—जबकि "फ्लैक्सीबल स्लैब स्टॉक पोलयोल" (एतद्पश्चात विषयगत वस्तु के रूप में उल्लिखित) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष 3907 20 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं और जो थाईलैंड (एतद्पश्चात विषयागत देश के रूप में उल्लिखित) में मूलत: उत्पादित अथवा वहां से भारत में आयातित है के मामले में पदनामित प्राधिकारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।, खंड-1 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 4/34/2015-डीजीएडी, दिनांक 21 फरवरी, 2017 के जरिए अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि-

(क) थाईलैंड से भारत को विचाराधीन उत्पाद को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है। इससे उत्पाद का पाटन हुआ है,

(ख) संबद्ध देश से संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

(ग) थाइलैंड से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है;

तथा पदनामित प्राधिकारी ने विषयगत देश से मूलत: उत्पादित अथवा निर्यातित विषयगत वस्तु तथा भारत में आयातित माल पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके।

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पदनामित प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्द्वारा विषयगत माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट देश में उद्भत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट मुद्रा एवं कालम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है।

सारणी

क्र.स.	उपशीर्ष	वस्तु विवरण	उद्गम देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	390720	3000-4000 के अणु भार के फ्लैक्सीबल स्लैब स्टॉक पोलयोल	थाईलैंड	थाईलैंड	आईआरपीसी पोलियोल कंपनी लि.	आईआरपीसी पोलियोल कंपनी लि.	शून्य	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
2	390720	3000-4000 के अणु भार के फ्लैक्सीबल स्लैब स्टॉक पोलयोल	थाईलैंड	थाईलैंड	आईआरपीसी पोलियोल कंपनी लि.	आईआरपीसी पीसीसी कंपनी लि.	शून्य	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
3	390720	3000-4000 के अणु भार के फ्लैक्सीबल स्लैब स्टॉक पोलयोल	थाईलैंड	थाईलैंड	क्र. सं. 1 और 2 के अलावा कोई अन्य संयोजन	क्र. सं. 1 और 2 के अलावा कोई अन्य संयोजन	135.40	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
4	390720	3000-4000 के अणु भार के फ्लैक्सीबल स्लैब स्टॉक पोलयोल	थाईलैंड	अन्य देश जो एंटी डपिंग डयूटी को आकर्षित नहीं करता	कोई	कोई	135.40	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
5	390720	3000-4000 के अणु भार के फ्लैक्सीबल स्लैब स्टॉक पोलयोल	अन्य देश जो एंटी डपिंग डयूटी को आकर्षित नहीं करता	थाइैलैंड	कोई	कोई	135.40	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच साल तक की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के लिए लागू विनिमय दर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 14 में विनिर्दिष्ट है और विनियम दर के निर्धारण के सुसंगत तारीख वही तारीख होगी जो उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत बिल में दी गई है।

[फा. सं.354/41/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2017

No. 13/2017-Customs (ADD)

G.S.R. 344(E).—Whereas in the matter of Flexible Slabstock Polyol (hereinafter referred to as the subject goods) falling under sub-heading 3907 20 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from, Thailand (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, vide notification No.14/34/2015-DGAD dated the 21st February, 2017, has come to the conclusion that–

(i) the subject goods have been exported to India from Thailand below the associated normal value, resulting in dumping;
(ii) the domestic industry has suffered material injury in respect of the subject goods;
(iii) the material injury has been caused by the dumped imports from Thailand,

and has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on the subject goods, originating in, or exported from the subject country, in order to remove injury to the domestic industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the sub-heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8) in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9), of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Sub-heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	3907 20	Flexible Slabstock Polyol of Molecular weight 3000-4000	Thailand	Thailand	M/s IRPC Polyol Company Ltd.	M/s IRPC Polyol Company Ltd.	Nil	Metric Tonne	US Dollar

2.	3907 20	Flexible Slabstock Polyol of Molecular weight 3000-4000	Thailand	Thailand	M/s IRPC Polyol Company Ltd.	M/s IRPC PCC Company Ltd.	Nil	Metric Tonne	US Dollar
3.	3907 20	Flexible Slabstock Polyol of Molecular weight 3000-4000	Thailand	Thailand	Any combination other than at S. No.1 and S.No.2 above	Any combination other than at S. No.1 and S.No.2 above	135.40	Metric Tonne	US Dollar
4.	3907 20	Flexible Slabstock Polyol of Molecular weight 3000-4000	Thailand	Any other country not attracting g anti-dumping duty	Any	Any	135.40	Metric Tonne	US Dollar
5.	3907 20	Flexible Slabstock Polyol of Molecular weight 3000-4000	Any other country not attracting anti-dumping duty	Thailand	Any	Any	135.40	Metric Tonne	US Dollar

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/41/2017-TRU]

MOHIT TIWARI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.04.16 13:44:31 +05'30'